जिला कलेक्टर कार्यालय

जिला कलेक्ट्रेट स्तर की कार्यवाही एवं नागरिकों के अधिकार

1. राजकीय/सार्वजनिक कार्यों हेतु सेट-अपार्ट करने एवं विधि राजस्व नियमों के तहत भूमि आवंटन एवं संपरिवर्तन

(i) गौशाला हेतु भूमि का आवंटन नियम, 1957

क्र.सं.	कार्य एवं प्रक्रिया	निर्धारित मापदण्ड	सशुल्क/नि:शुल्क	समयावधि
1.	आवेदन पत्र/ प्रस्ताव प्राप्त होने पर तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से जिला कलेक्टर को टिप्पणी भेजेगा, टिप्पणी प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर, प्रकरण का परीक्षण कर या तो आवेदन को अस्वीकार करेगा अथवा स्वीकार करेगा एवं नियमों के अधीन आवंटन की कार्यवाही करेगा।	प्रति 100 मवेशी एक हैक्टेयर एवं अधिकतम 25 हैक्टेयर तक	(क) वर्तमान भू- प्रबन्ध में निर्धारित लगान का एक चौथाई, यदि आवेदित भूमि का लगान निर्धारित हो चुका है, अथवा (ख) 160 रुपये प्रति हैक्टेयर प्रतिवर्ष यदि भूमि का लगान निर्धारित नही हुआ हो।	जिला कार्यालय 2 दिन तहसील कार्यालय 15 दिन, उपखण्ड कार्यालय 7 दिन, जिला कार्यालय 5 दिन, संभागीय आयुक्त 15 दिन बाद स्वीकृति जिला कार्यालय 3 दिन (कुल 47 दिन)

(ii) राजकीय/सार्वजनिक कार्यों हेतु सेट-अपार्ट अन्तर्गत धारा 92 राज. भू-राजस्व अधिनियम, 1956

क्र.सं.	कार्य एवं प्रक्रिया	निर्धारित मापदण्ड	सशुल्क/नि:शुल्क	समयावधि
1.	संबंधित तहसीलदार के पास प्रस्ताव होने पर वे अपनी टिप्पणी के साथ उपखण्ड अधिकारी के मार्फत जिला कार्यालय को भिजवाते है एवं भूमि सेट-अपार्ट किए जाने के आदेश जारी किए जाते हैं।	कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है। आवश्यकतानुसार सेट अपार्ट का प्रावधान है।	नि:शुल्क	तहसील 15 दिन उपखण्ड 7 दिन जिला कार्यालय 5 दिन

नोट - उप निवेशन क्षेत्र के लिये उपनिवेशन अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत कार्यवाही होगी।

(iii) राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007

क्र.सं.	कार्य एवं प्रक्रिया	निर्धारित मापदण्ड	सशुल्क/नि:शुल्क	समयावधि
1.	**आवासीय कॉलोनी/प्रोजेकट प्रयोजनार्थ :** संबंधित जिला कलेक्टर को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।	50000 वर्ग मीटर तक	रूपये 7.5 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डी.एल.सी. रेट का 7.5 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।	30 दिवस में सम्पूर्ण कार्यवाही अपेक्षित है।
2.	**वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ :** संबंधित जिला कलेक्टर को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।	5000 वर्ग मीटर तक (रिसोर्ट शामिल नहीं हैं)	रूपये 10 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डी.एल.सी. रेट का 10 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।	30 दिवस में सम्पूर्ण कार्यवाही अपेक्षित है।
3.	**औद्योगिक प्रयोजनार्थ :** संबंधित जिला कलेक्टर को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।	10 हैक्टेयर तक (टूरिज्म यूनिट शामिल नहीं है)	रूपये 5 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डी.एल.सी. रेट का 5 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।	30 दिवस में सम्पूर्ण कार्यवाही अपेक्षित है।
4.	**नमक विनर्माण प्रयोजनार्थ :** संबंधित जिला कलेक्टर को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।	20 हैक्टेयर से अधिक	रूपये 0.5 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डी.एल.सी. रेट का 0.5 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।	30 दिवस में सम्पूर्ण कार्यवाही अपेक्षित है।

क्र.सं.	कार्य एवं प्रक्रिया	निर्धारित मापदण्ड	सशुल्क/नि:शुल्क	समयावधि
5.	**लोकोपयोगी प्रयोजनार्थ :** संबंधित जिला कलेकटर को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।	10000 वर्ग मीटर तक	10000 वर्गमीटर कोई प्रिमियम राशि देय नहीं है, लेकिन 10000 वर्गमीटर से अधिक पर रुपये 5 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डी.एल.सी. रेट का 5 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।	30 दिवस में सम्पूर्ण कार्यवाही अपेक्षित है।
6.	**संस्थागत प्रयोजनार्थ :** संबंधित जिला कलेक्टर को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।	5000 वर्ग मीटर तक	रूपये 5 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डी.एल.सी. रेट का 5 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।	30 दिवस में सम्पूर्ण कार्यवाही अपेक्षित है।
7.	**चिकित्सा सुविधा प्रयोजनार्थ:** संबंधित जिला कलेक्टर को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।	5000 वर्ग मीटर तक	रूपये 10 प्रति वर्गमीटर या कृषि भूमि की डी.एल.सी. रेट का 10 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।	30 दिवस में सम्पूर्ण कार्यवाही अपेक्षित है।

(iv) आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन/आरक्षण (राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार)

क्र.सं.	कार्य एवं प्रक्रिया	निर्धारित मापदण्ड	सशुल्क/नि:शुल्क	समयावधि
1.	तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी के मार्फत प्रस्ताव भिजवाने पर टिप्पणी अनुकूल व नियमानुसार होने पर चरागाह को बिलानाम कर आबादी विस्तार हेतु आवंटन व पूर्ति हेतु बिलानाम को चरागाह में परिवर्तन बाबत आदेश जारी किया जाता है।	जनसंख्या अनुसार 700 से कम- 20 एकड 700 से 1200 तक 40 एकड 1201 से 1200 तक 60 एकड 1701 से 2200 तक 80 एकड 2200 से अधिक आबादी और प्रत्येक 1000 आबादी के लिए 40 एकड	नि:शुल्क	तहसील 15 दिन उपखण्ड 7 दिन जिला कार्यालय 7 दिन
2.	तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी के मार्फत प्रस्ताव भिजवाने पर टिप्पणी अनुकूल व नियमानुसार होने पर कमाण्ड क्षेत्र में स्थित होने पर आरक्षण का आदेश जारी किया जाता है।	जनसंख्या अनुसार 700 से कम- 20 एकड 700 से 1200 तक 40 एकड 1201 से 1701 तक 60 एकड 1701 से 2200 तक 80 एकड 2200 से अधिक आबादी और प्रत्येक 1000 आबादी के लिए 40 एकड	कृषि भूमि का आरक्षित मूल्य जमा होने पर।	तहसील 15 दिन उपखण्ड 7 दिन जिला कार्यालय 7 दिन

राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1987
ईंट भट्टों के लिये आवंटन एवं सपरिवर्तन

क्र.सं.	कार्य एवं प्रक्रिया	निर्धारित मापदण्ड	सशुल्क/नि:शुल्क	समयावधि
1.	आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर संबंधित तहसीलदार से मार्फत उपखण्ड अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की जाती है। अनुकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर 5 वर्ष के लिये भूमि लीज पर आवंटन की जाती है। शर्तो की पालना पूर्ण होने पर एक बार में 5 वर्षों के लिए नवीनीकरण किया जाता है।	10 एकड तक भूमि का आवंटन किया जा सकता है।	लीज रेन्ट 1500/- प्रति वर्ष प्रति एकड (बिलानाम भूमि) लिया जाता है। खातेदारी भूमि का 500/- रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड की दर से लिया जाता है। प्रत्येक बार नवीनीकरण पर लीज रेन्ट में 25 प्रतिशत की बढोत्तरी की जाती है।	जिला कार्यालय 2 दिवस, तहसील 15 दिवस, उपखण्ड 7 दिवस बाद रिपोर्ट जिला कार्यालय 7 दिवस

नोट - 1. बारानी या असिंचित के रुप में वगीकृत भूमि ही ईट भट्टों के आवंटन हेतु उपलब्ध होगी।
2. यदि कजावा (छोटे ईंट भट्टे) के लिए आवेदन तालाब, नदी पेटा, गोचर की भूमि के लिये किया गया है तो जिला जिला कलेक्टर जांच एवं गोचर भूमि के मामले में पंचायत से परामर्श कर नियम 8 में विहित किराया दर की 50 प्रतिशत किराया दर पर एक वर्ष से कम अवधि के लिये आवंटन कर सकेगा।

(vi) राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1978 सिनेमा तथा पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु कृषि भूमि का आवंटन परिवर्तन तथा नियमन

कार्य एवं प्रक्रिया	निर्धारित मापदण्ड	सशुल्क/नि:शुल्क	समयावधि
आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संबधित तहसीलदार से मार्फत उपखण्ड अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की जाती है। अनुकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर नगर नियोजक से राय प्राप्त की जाती है। तत्पश्चात नियमानुसार 20 वर्ष के लिये नवीनीकरण का प्रावधान है।	नियमों के अन्तर्गत कोई सीमा का निर्धारण नहीं है।	4000 वर्ग गज के मानक आधार के, भूखण्ड का लीज रेन्ट, प्र.व.ग., 1,2,3 के श्रेणी के कस्बा के लिए क्रमश: 2500, 1250, 600 रू. प्रति माह सिनेमा घरों के लिये जाता है। 1200 वर्गगज के मानक आधार के भूखण्ड का लीज रेण्ट प्र.व.ग. 1, 2, 3 श्रेणी के कस्बों के लिये क्रमश: 500, 300, 200 प्रतिमाह पेट्रोल पम्प के लिये जाता है। बिलानाम भूमि की कीमत भी ली जाती है।	नियमानुसार तहसील, उपखण्ड, एवं जिला कार्यालय के लिये 30 दिन व नगर नियोजक के लिए 30 दिन का प्रावधान है।

(vii) राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1959

औद्योगिक क्षेत्र आवंटन

कार्य एवं प्रक्रिया	निर्धारित मापदण्ड	सशुल्क/नि:शुल्क	समयावधि
जिला कलेक्टर (राजस्व) द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 कह धारा 92 के तहत् औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि सेट-अपार्ट करने के पश्चात उक्त नियमों के अन्तर्गत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। बाद जांच जिला कलेक्टर (उद्योग) द्वारा भूमि का आवंटन 99 वर्ष के लिए लीज होल्ड राइट्स पर किया जाता है।	नियमों के अन्तर्गत भूमि आवंटन के संबंध में सीमा निर्धारित नहीं है।	औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित सरकारी भूमि की कीमत प्रभारित की जावेगी। पट्टेदार से नियमानुसार विकास शुल्क के रूप में प्रीमियम वसूल किया जायेगा, किन्तु राज्य सरकार अथवा संबंधित विभागीय निगम द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया है तो औद्योगिक क्षेत्र में विकास प्रभार प्रभावित नहीं किया जावेगा। आवंटित भूमि का किराया प्रतिवर्ष निम्न दर से प्रभारित होगा – 1. 3 लाख की जनसंख्या व अधिक वाले टाउन के लिए 250 रू.प्रति एकड, प्रति वर्ष। 2. 10 हजार से अधिक लेकिन 3 लाख से कम की जनसंख्या वाले टाउन में 150 रू. प्रति एकड प्रति वर्ष। 3. 10 हजार से कम की जनसंख्या वाले नगर के लिए 75 रू. प्रति एकड प्रति वर्ष।	30 दिन

(viii) राजस्थान भू-राजस्व स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ, अनाधिवासित राजस्थान कृषि भूमि का आवंटन नियम, 1963

क्र.सं.	कार्य एवं प्रक्रिया	मापदण्ड एवं सक्षम अधिकारी		सशुल्क/ नि:शुल्क	समयावधि
		निर्धारित मापदण्ड	सक्षम प्राधिकारी एवं रकबा		
1.	आवेदन पत्र प्राप्त होने पर संबंधित तहसीलदार द्वारा उचित माध्यम से प्रस्ताव सक्षम आवंटन प्राधिकारी को भेजे जाते है आवंटन 99 वर्ष के लिये लीज होल्ड राईट्स पर किया जाता है।	(a) प्राथमिक विद्यालय/ राजीव गांधी पाठशाला (हॉस्टल भवनों, खेल मैदानों आदि को सम्मिलित करते हुए)	उपखण्ड अधिकारी 2 एकड	सरकारी विभाग या संस्थान या स्थानीय निकाय प्राधिकारण, बोर्ड को आवंटन नि:शुल्क होगा। गैर सरकार संस्थान को आवंटन शहरी क्षेत्र	तहसील 15 दिन
		(b) मिडिल स्कूल (हॉस्टल भवनों, खेल मैदानों आदि को सम्मिलित करते हुए)	जिला कलेक्टर 2 एकड		उपखण्ड 7 दिन

क्र.सं.	कार्य एवं प्रक्रिया	मापदण्ड एवं सक्षम अधिकारी		सशुल्क/ निःशुल्क	समयावधि
		निर्धारित मापदण्ड	सक्षम प्राधिकारी एवं रकबा		
		(c) माध्यमिक विद्यालय/ उच्च मा. विद्यालय /बी.एस.टी.सी. विद्यालय (हॉस्टल भवनों, खेल मैदानों तथा शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए आवास गृहों को सम्मिलित करते हुए)	उपखण्ड अधिकारी जिला कलेक्टर 10 एकड	में प्रचलित बाजार दर का 75 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित बाजार दर के 50 प्रतिशत के बराबर प्रीमियम राशि जमा कराने पर आवंटन किया जाएगा।	जिला 7 दिन
		(d) डिग्री/स्नातकोत्तर महाविद्यालय (हॉस्टल भवनों, खेल मैदानों तथा शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा को सम्मिलित करते हुए)	संभागीय आयुक्त 30 एकड		
		(e) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रबन्धित केन्द्रीय विद्यालय (हॉस्टल भवनों, खेल मैदानों तथा शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा को सम्मिलित करते हुए)	जिला कलेक्टर 15 एकड		
		(f) नवोदय विद्यालय संगठन द्वारा प्रबन्धित नवोदय विद्यालय (हॉस्टल भवनों, खेल मैदानों तथा शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा को सम्मिलित करते हुए)	संभागीय आयुक्त 30 एकड		
		(g) सरकारी हॉस्टल (खेल मैदानों को सम्मिलित करते हुए)	उपखण्ड अधिकारी 2 एकड		
		(h) पंचायत स्तर	उपखण्ड अधिकारी 2 एकड		
		(i) लोकोपयोगी भवन	राज्य सरकार 1 एकड		

		(j) आयुर्वेद, चिकित्सा और पशुपालन विभाग के अन्तर्गत सुविधाओं से रहित औषधालय/ उपकेन्द्र (कर्मचारियों के आवास गृहों को सम्मिलित करते हुए)	उपखण्ड अधिकारी 2 एकड		
		(k) तहसील एवं जिला स्तरीय अंतरंग सुविधाओं वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल (कर्मचारियों के आवास गृहों, मेडिकल दुकानों की जगह को सम्मिलित करते हुए)	जिला कलक्टर 5 एकड		
		(l) सरकारी कार्यालय भवन	उपखण्ड अधिकारी 2 एकड		
		(m) गिरदावर भवन/ पटवार घर	उपखण्ड अधिकारी 2 एकड		
		(n) मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा और अन्य धार्मिक स्थान	राज्य सरकार 0.5 एकड		

नोट :-

1. किसी सरकारी विभाग या संस्थान या किसी स्थानीय निकाय या किसी प्राधिकरण या बोर्ड से भिन्न कोई भी आवंटन राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।
2. उपरोक्त उल्लेखित अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।
3. किसी भी स्त्रोत से सिंचित भूमि, लोक मार्ग, चरागाह, ओरण, जोहड, पायतन, नदी या तालाब तल, गैर मुमकिन पहाड के रुप में अभिलिखित भूमि का आवंटन राज्य सरकार की पुर्वानुमति के बिना नहीं किया जावेगा।

2. आबादी मूल निवास प्रमाण-पत्र

क्र.सं.	कार्य एवं प्रक्रिया	निर्धारित मापदण्ड	सशुल्क/नि:शुल्क	समयावधि
1.	इस हेतु जिला दण्डनायक, उप जिला दण्डनायक, ए.सी.एम. एवं तहसीलदार अधिकृत है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर आयुक्त नगर परिषद, तहसीलदार/पटवारी की रिपोर्ट एवं शपथ पत्र लेकर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।	इस हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है।	नि:शुल्क	3 दिवस

3. आर्म्स लाईसेन्स नवीनीकरण (आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत)

क्र.सं.	कार्य एवं प्रक्रिया	निर्धारित मापदण्ड	सशुल्क/नि:शुल्क	समयावधि
1.	कारतूसी शस्त्रों के जिला/राज्य क्षेत्र के लाईसेन्स जिला/मजिस्ट्रेट द्वारा 3 वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जाता है। आवेदन प्रस्तुत होने पर शस्त्र अवलोकन कर निर्धारित शुल्क जमा कर नवीनीकरण किया जाता है।	इस हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है।	रिवाल्वर/ पिस्टल 50/- रू. प्रति वर्ष राईफल 30/- रू. प्रति वर्ष बारह बोर बंदूक 20/- प्रति वर्ष टोपीदार बंदूक 5/- प्रति वर्ष	3 दिवस

नोट :- लाईसेन्स अधिकारी द्वारा कारतूसी शस्त्रों के लाइसेन्स नवीनीकरण से पूर्व लाईसेन्सधारी को आचरण की जांच पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक से करवायी जायेगी।

4 (A). आर्म्स जिला अभिलेखालय से प्रतिलिपि प्राप्त करने का शुल्क एवं अवधि

क्र.सं.	रेकार्ड का प्रकार	निर्धारित मापदण्ड		सशुल्क/नि:शुल्क		विशेष
		साधारण	आवश्यक	साधारण	आवश्यक	
1.	भू-प्रबन्ध जमाबन्दी प्रति खाता	13.00 रू.	26.00 रू.	7 दिवस	24 घंटे	
2.	नक्शा ट्रेस प्रति 100 नम्बर तक	7.00 रू.	14.00 रू.	7 दिवस	24 घंटे	ट्रेस पेपर आवेदन को लाना होगा।
3.	पर्चा खतौनी	8.00 रू.	16.00 रू.	7 दिवस	24 घंटे	
4.	नामान्तरण	13.00 रू.	26.00 रू.	7 दिवस	24 घंटे	
5.	फर्द मिलान क्षेत्रफल	13.00 रू.	26.00 रू.	7 दिवस	24 घंटे	
6.	खसरा प्रत्येक 100 नम्बर तक	13.00 रू.	26.00 रू.	7 दिवस	24 घंटे	
7.	तहसील की जमाबन्दी प्रति खाता 10 नम्बर तक	2.00 रू.	4.00 रू.	10 दिवस	24 घंटे	
8.	पत्रावली प्रति पृष्ठ 400 शब्दों तक	1.00 रू.	2.00 रू.	7 दिवस	24 घंटे	

शिकायत कहाँ की जाए - जिला कलेक्टर कार्यालय पर उपरोक्त कार्य निर्धारित समय सीमा में नहीं होने पर इसकी शिकायत जिला कलेक्टर को स्वयं करनी चाहिए। जिला कलेक्टर शिकायत दर्ज रजिस्टर करवाकर 7 दिवस में जांच कर इसकी सूचना शिकायतकर्ता को देगें। कार्य फिर भी नहीं होने पर संभागीय आयुक्त को शिकायत की जा सकती है। संभाग स्तर पर शिकायत दर्ज कर इसका निस्तारण 1 माह में किया जाना अनिवार्य होगा।

4 (b). जिला "अपना खाता केन्द्र" से जमाबन्दी की कम्प्युटरीकृत प्रतिलिपि जारी करना।

नाम अभिलेख	परिमाप	निर्धारित शुल्क	निर्धारित अवधि	विशेष
जमाबन्दी चौसाला (पी-26)	10 ख.नं. तक प्रत्येक 10 ख.नं. या उसके भाग के लिए	10/- रू. 5/- रू.	जमाबन्दी की प्रतिलिपि उसी दिन आवेदक को उपलब्ध कराई जावेगी।	आवेदन पत्र जिला कलेक्टर/प्रभारी अधिकारी (भू.अ.) को प्रस्तुत किया जावेगा।

4 (C) जमाबन्दी की कम्प्युटरीकृत प्रतियां साईबर कैफे/ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से जारी करने हेतु नवीन लाईसेन्स/लाईसेन्स नवीनीकरण की प्रक्रिया

कार्य का प्रकार	प्रक्रिया	निर्धारित शुल्क	विशेष
1. नवीन लाईसेन्स जारी करना	आवेदन जिला कलेक्टर को किया जावेगा। जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाने एवं आवश्यक जांच के उपरान्त लाइसेन्स जारी करेगा	200 रू. प्रति वर्ष वित्तीय वर्ष	
2. लाईसेन्स का नवीनीकरण	आवेदन जिला कलेक्टर को किया जावेगा। पूर्व लाईसेन्स का संतोषप्रद सेवा होने एवं निर्धारित शुल्क जमा होने की स्थिति में जिला कलेक्टर लाईसेन्स का नवीनीकरण करेगा।	100 रू. प्रति वर्ष वित्तीय वर्ष	साईबर कैफे धारक प्रतिवर्ष (वित्तीय वर्ष) लाईसेन्स का नवीनीकरण करवायेगा। इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर द्वारा लाईसेन्स धारक को 30 दिवस में नवीनीकरण करवाने हेतु नोटिस देगा एवं इस अवधि में भी नवीनीकरण नहीं करवाने पर पुन: 30 दिवस का अन्तिम स्मरण पत्र देगा, यदि फिर भी नवीनीकरण नहीं करवाया जाता है, तो लाईसेन्स निरस्त कर दिया जावेगा। लाईसेन्स निरस्त होने पर धारक को पुन: नवीन लाईसेन्स लेना होगा। उक्त नोटिस एवं स्मरण पत्र देने संबंधी प्रक्रिया लाईसेन्स अवधि समाप्त होने से पूर्व पूर्ण करनी होगी।
3. साईबर कैफे/ ई-मित्र कियोस्क धारक द्वारा जमाबन्दी की प्रतिलिपि जारी करना।	-	अधिकतम 20/- रुपये (प्रतिलिपि शुल्क)	प्रतियोगिता की दृष्टि से लाईसेन्स धारक इससे भी कम फीस ले सकेंगे। जिससे अधिक से अधिक काश्तकारों को लाभ हो सकें।